



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241578  
CG-DL-E-02012023-241578

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944

No. 329]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

[मामला सं. ए डी (ओ आई) -16/2022]

**विषय :** चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड" (पीसीबी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. **फा. सं. 6/16/2022-डीजीटीआर.**—इंडियन प्रिन्टेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) (इसके बाद इसे "आवेदक एसोसिएशन", अथवा "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. और हांगकांग (इसके बाद इन्हें संबद्ध देशों के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदक एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है अथवा वास्तविक क्षति होने की आशंका है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) है। यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, जो लेआउट डेटा या आर्टवर्क के साथ आपूर्ति किया जाता है और कंपोनेंट पर चढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीसीबी को एक तरफ, दो तरफ या अनेक लेयर के रूप में निर्मित या बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा वर्तमान जांच में 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है:-

- क. 6 लेयर से अधिक के पीसीबी  
ख. मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग  
ग. सभी आकार के घने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

4. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 85 के तहत और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के टैरिफ शीर्षक 8534 0000 "मुद्रित सर्किट" के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, आवेदक ने दावा किया है कि किसी अन्य शीर्षक/टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. पीसीबी को मुख्यतः बिजली कनेक्शन के लिए और एक सर्किट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की यांत्रिक सहायता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीसीबी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, केपेसिटर आदि के साथ असेंबल किया गया है। असेंबल करने की प्रक्रिया में, जो कि ग्राहक के स्तर पर होती है, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीसीबी एक कार्यात्मक प्रिंटेड सर्किट एसेंबली (पीसीए) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ पॉपुलेटेड (अथवा "स्टफ") किया जाता है, जिसे "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली" (पीसीबीए) भी कहा जाता है। पापुलेटेड/स्टफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का प्रयोग साधारण ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से लेकर बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। पीसीबीए का प्रयोग कारों, टेलीफोन, ओवन, खिलौनों, टेलीविजन, कंप्यूटर, लाइट सोल्यूशन आदि में किया जाता है।

**उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)**

6. आवेदक एसोसिएशन ने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ आयातित उत्पाद की उचित तुलना करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:-

क्र. सं.	मानदंड-1- लेयर	मानदंड-1 के लिए पीसीएन (2 अंक)	मानदंड-2- मैटेरियल टाइप	मानदंड-2 के लिए पीसीएन (2 अंक)	अंतिम पीसीएन	स्पष्टीकरण
1	सिंगल	एसएस	पेपर फेनोलिक	पीपी	एसएसपीपी	पेपर फिनोलिक से निर्मित सिंगल साइड पीसीबी
2		एसएस	ग्लास इपोक्सी	जीई	एसएसजीई	
3		एसएस	कंपोजिट इपोक्सी	सीई	एसएससीई	
4		एसएस	एमसीपीसीबी (एल्युमिनियम बैकिंग)	एमसी	एसएसएमसी	
5		एसएस	फ्लेक्सिबल	एफएल	एसएसएफएल	
6	डबल	डीएस	ग्लास इपोक्सी	जीई	डीएसजीई	
7		डीएस	कंपोजिट इपोक्सी	सीई	डीएससीई	
8		डीएस	सिरेमिक बेस्ड	सीआर	डीएससीआर	
9		डीएस	एमसीपीसीबी (एल्युमिनियम बैकिंग)	एमसी	डीएसएमसी	
10		डीएस	पॉली टेद्रा फ्लोरो इथाइलीन (पीटीएफई)	पीटी	डीएसपीटी	

11		डीएस	रेडिया फ्रिक्वेंसी	आरआफ	डीएसआरएफ	
12	4 लेयर	4 एल	ग्लास इपोक्सी	जीई	4 एलजीई	
13	6 लेयर	6 एल	ग्लास इपोक्सी	जीई	6 एलजीई	

7. जांच के पक्ष इस जांच के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित पीयूसी/पीसीएन पर अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

#### ख. समान वस्तु

8. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक गुणो, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया है और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में मानी जा रही है।

#### ग. संबद्ध देश

9 चीन जन. गण. और हांगकांग से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबद्ध में आवेदन दाखिल किया गया है।

#### घ. जांच की अवधि (पीओआई)

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि दिनांक 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 माह) तक की है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 (15 माह) तथा जांच की अवधि होगी।

#### ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) द्वारा पीसीबी का उत्पादन करने वाली इसकी सदस्य कंपनियों की ओर से दाखिल किया गया है। यह दावा किया गया है कि भारत में पीसीबी के 200 के करीब निर्माता हैं, उनमें से अधिकांश छोटे और असंगठित क्षेत्र में हैं। पीसीबी के भारतीय निर्माता भी एमएसएमई क्षेत्र में हैं और भारत भर में हैं। प्रारंभ में, आवेदक एसोसिएशन ने तीन सदस्य कंपनियों के साथ आवेदन दाखिल किए थे, क्योंकि आवेदक भारत में पीसीबी का निर्माण करने वाली 9 अन्य सदस्य कंपनियों के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में पूरी सूचना प्रदान कर रहे हैं।

12. बाद में, आवेदक एसोसिएशन ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है वर्तमान आवेदन को व्यापार सूचना संख्या 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021, जो व्यापार सूचना संख्या 11/2021, दिनांक 18 नवंबर, 2021 द्वारा यथा संशोधित है, के तहत दाखिल माना जाए, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि घरेलू उद्योग खंडित है, तो आवेदन को घरेलू उत्पादकों की ओर से एक एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे घरेलू उत्पादकों के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के तहत समान वस्तु के कुल मात्रा घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, इसकी सदस्य कंपनियों ने अनुबंध-I में यथा निर्धारित संगत सूचना दाखिल की है और आवेदक एसोसिएशन ने दिनांक 18 नवंबर, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 11/2021 द्वारा यथा संशोधित व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुबंध-II के तहत यथा निर्धारित पूर्वापेक्षाएं भी पूरी की हैं। आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि इसकी सदस्य कंपनियां पीसीबी का उत्पादन कर रही हैं, जिनमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का 80-90 प्रतिशत शामिल है। कुछ आवेदक उत्पादक, जिन्होंने वर्तमान आवेदन के लिए संगत आंकड़े प्रदान किए हैं, उनके पास कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक है जिन घरेलू उत्पादकों ने अनुबंध-I के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं, ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे न तो संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं, और न ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबद्ध हैं।

13. जिन कंपनियों ने संगत आंकड़े प्रदान किए हैं, उनका कुल उत्पादन और जिन कंपनियों ने आवेदन का स्पष्ट समर्थन किया है, उनका भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 39.82 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। अतः वर्तमान आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
14. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों और दिनांक 18 नवंबर, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 11/2021 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

**च. कथित पाटन मार्जिन का आधार**

**चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

15. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, चीन जन. गण. में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत या लागत के आधार पर केवल तभी निर्धारित की जानी चाहिए, यदि चीन जन. गण. के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत की सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना करती है, अन्यथा संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर की जाए।
16. आवेदक एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत से संबंधित आंकड़े अथवा अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के माध्यम से इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अतः सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का विधिवत समायोजन करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर निर्मित किया गया है।

**हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य**

17. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद भी घरेलू लागत और बिक्री कीमतें उपलब्ध नहीं हैं। अतः सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का विधिवत समायोजन करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है।

**निर्यात कीमत**

18. आवेदक एसोसिएशन ने द्वितीयक स्रोत डेटा के अनुसार भारत में सूचित आयातों की सीआईएफ कीमत को लिया है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह व्ययों, स्वदेशी मालभाड़ा, लोडिंग और अनलोडिंग प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है।

**पाटन मार्जिन**

19. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूलित उत्पाद है और इसे ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशनों के आधार पर उत्पादित और बिक्री किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को ग्राहक की जरूरत के आधार पर विभिन्न आकार में निर्मित और बिक्री किया जाता है, जो कुछ वर्ग मिली मीटर से लेकर सौ वर्ग मिली मीटर तक की रेंज में हो सकते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के पीसीबी के लिए, प्रति वर्ग मीटर लागत समान होगी लेकिन प्रति संख्या लागत इसके आकार के आधार पर व्यापक तौर पर भिन्न होगी। इस प्रकार, यह दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को वर्ग मीटर आधार पर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने वर्ग मीटर आधार पर लागत व कीमत की सूचना प्रदान की है।
20. इस प्रकार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर आयात डेटा में जहां कहीं भी पहचान करने योग्य हो, वर्ग मीटर आधार पर की गई है, जो प्रथमदृष्ट्या यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से, पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

21. आवेदक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक एसोसिएशन ने भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की वृद्धि की मात्रा के रूप में कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति होने की आशंका है।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

22. आईपीसीए द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक जांच की शुरूआत करते हैं।

**झ. प्रक्रिया**

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच में अनुसरण किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार, ई-मेल पतों [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in) और [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) पर भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्व करने योग्य पीडीएफ/एमएस फॉर्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को, इस अधिसूचना के पैरा 28 में उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से दाखिल करनी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों के अनुसार विहित प्रपत्र और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

**ट. समय-सीमा**

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ई-मेल पतों [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in) और [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय

सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
  31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आना चाहिए।
- ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**
32. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
  33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
  34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  35. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
  36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
  37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के साथ प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रसि के सात (7) दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।
  38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
  39. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण और उपयुक्त व्यापार सूचना के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
  40. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

**ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना**

41. डीजीटीआर की वेबसाइट पर पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनमें सभी को इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान वैश्विक महामारी के चलते भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

**ढ. असहयोग**

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2022

[Case No. AD (O1) -16/2022]

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Printed Circuit Boards (PCB)” originating in or exported from China PR and Hong Kong.**

1. **F. No. 6/16/2022-DGTR.**—The Indian Printed Circuit Association (IPCA) (hereinafter also referred to as the “applicant association” or the “applicant” or the “petitioner”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “AD Rules”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Printed Circuits Boards (PCB)” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. The applicant association has alleged that material injury and threat to material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration (PUC) in the application is Printed Circuit Boards (PCBs). A Printed Circuit Board is a bare board which is supplied with layout data or artwork and used to mount components. A PCB is manufactured and sold as single-side, double-side or multiple layers. The scope of the product under consideration in the present investigation is limited up to six-layer PCB. The following PCBs are excluded from the scope of the product under consideration:-

- PCBs with more than 6 layers;
- PCBs for use in mobile phone applications;
- Populated printed circuit boards of all sizes.

4. The product under consideration is classified under Chapter 85 and under the tariff heading 8534 0000 “Printed Circuits” of the Schedule I to the Customs Tarrif Act. However, the applicant has claimed that there is a possibility of import of product under consideration under any other heading / tariff item. The HS classification for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.

5. The PCBs are mainly used to provide electrical connection and mechanical support to the electrical components of a circuit. A PCB is assembled with electronic components like transistors, resistors, capacitors etc. In the assembly process which happens at the customer's end, a PCB is populated (or "stuffed") with electronic components to form a functional printed circuit assembly (PCA) which is also called a "printed circuit board assembly"(PCBA). Populated/stuffed printed circuit boards are used in all kinds of electronic circuits, from simple transistor amplifiers to the biggest super computers. PCBA are used in cars, telephones, ovens, toys, televisions, computers, lighting solutions etc.

**Product Control Number (PCN)**

6. The applicant association in the application has proposed Product Control Numbers (PCNs) as below for making a fair comparison of the imported product with the like article produced by the domestic industry-

S. No.	Criteria-1- Layer	PCN for Parameter-1 (2 digits)	Criteria-2- Material Type	PCN for Parameter-2 (2 digits)	Final PCN	Explanation
1	Single		Paper phenolic		SSPP	Single Side PCB made from Paper Phenolics
2			Glass epoxy		SSGE	
3			Composite Epoxy		SSCE	
4			MCPCB (ALUMINIUM BACKING)		SSMC	
5			Flexible		SSFL	
6	Double		Glass epoxy		DSGE	
7			Composite Epoxy		DSCE	
8			Ceramic based		DSCR	
9			MCPCB (ALUMINIUM BACKING)		DSMC	
10			Polytetrafluoroethylene (PTFE)		DSPT	
11			Radio Frequency		DSRF	
12	4 layers		Glass epoxy		4LGE	
13	6 layers		Glass epoxy		6LGE	

7. The parties to the investigation can provide their comments on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation, if any, within thirty (30) days from the date of initiation of this investigation.

**LIKE ARTICLE**

8. The applicant association has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries. Both the goods are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two products are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two products interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods imported from the subject countries.

**B. SUBJECT COUNTRIES**

9. The application has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from China PR and Hong Kong.

**C. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

10. The period of investigation for the present investigation is from 1<sup>st</sup> July 2021 to 30<sup>th</sup> June 2022 (12 months). The injury investigation period will be 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019, 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 20, 1<sup>st</sup> April 2020 to 30<sup>th</sup> June 2021 (15 months) and the POI.

**D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

11. The application has been filed by the Indian Printed Circuit Association (IPCA) on behalf of its member companies producing PCB. It has been claimed that there are close to 200 manufacturers of PCBs in India, most of whom are small and in the unorganized sector. The Indian manufacturers of PCBs are also in MSME sector and fragmented across India. The applicant association had filed the application with three member companies as applicants providing the complete information in the formats prescribed by the Authority with the support from nine other member companies manufacturing PCBs in India.
12. Subsequently, the applicant association requested the Authority that the present application may be treated as filed in terms of Trade Notice No. 09/2021 dated 29<sup>th</sup> July 2021 as amended by Trade Notice No. 11/2021 dated 18<sup>th</sup> November 2021, which states that in case the domestic industry is fragmented, the application may be filed by an association on behalf of the domestic producers provided such domestic producers must constitute a major proportion of the total eligible domestic production of like article as per Rule 2(b) and Rule 5 (3) (a) of the AD Rules. Accordingly, its six member companies filed the relevant information as prescribed in Annexure-I and the applicant association has also met the pre-requisites prescribed under Annexure II of Trade Notice 09/2021 as amended by Trade Notice No. 11/2021 dated 18<sup>th</sup> November 2021. The applicant association has claimed that its member companies producing PCB constitute 80-90% of the total production of the like article in India as per Rule 5(3)(a) of the AD Rules. The six applicant producers who have provided the relevant data for the current application constitute more than 25% of the total Indian production. The domestic producers who have provided the data as per Annexure-I, have certified that they have not imported the product under consideration from the subject countries. Further, they are neither related to any producer/ exporter of the product under consideration in the subject countries nor to the importers of the subject goods in India.
13. The total production of the companies who have provided the relevant data and the companies who have expressly supported the application constitutes 39.82% of the total domestic production of the PUC in India. Hence, the present application fulfils the requirement of Rule 2(b) read with Rule 5 of the AD Rules.
14. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules and the Trade Notice 09/2021 dated 29<sup>th</sup> July 2021 as amended by Trade Notice No. 11/2021 dated 18<sup>th</sup> November 2021.

**E. BASIS OF ALLEGED DUMPING****Normal value for China PR**

15. The applicant association has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value of producers of China PR may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR only if the responding producers from China PR demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the producers from the subject country be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.
16. The applicant association has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

**Normal value for Hong Kong**

17. The applicant association has claimed that the domestic cost and selling prices of PUC in Hong Kong is not available. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin

**Export Price**

18. The applicant association has taken the CIF price of imports into India reported as per secondary source data and claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, loading and unloading charges, to determine the ex-factory export price.

**Dumping Margin**

19. The applicant has claimed that the PUC is a customised product and is produced and sold on the basis of specifications provided by the customers. The PUC is manufactured and sold in varying sizes based on customer requirements which may range from a few square millimetres to hundreds of square millimetres. For a particular type of PCB, the per square meter cost will be same but the per no. cost will widely vary depending upon its size. Thus, it is claimed that the comparison of cost and price of PUC should be done on square meter basis. The domestic industry has provided the cost and price information on square meter basis.
20. Thus, the normal value and the export price have been compared on square meter basis at the ex-factory level wherever identifiable in the import data, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

**F. INJURY AND CAUSAL LINK**

21. Information furnished by the applicant association has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant association has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports in the form of increased volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India. There exists *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered injury and threat to injury due to the alleged dumped imports from the subject countries.

**G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

22. On the basis of the duly substantiated written application by the IPCA on behalf of the domestic producers, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**H. PROCEDURE**

23. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules shall be followed in the present investigation.

**I. SUBMISSION OF INFORMATION**

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in and jd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 28 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time-limit mentioned in this initiation notification.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**J. TIME LIMIT**

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in and jd16-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in

terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **K. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS**

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
34. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven (7) Days of receipt of the non-confidential version of the documents.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **L. SHARING OF RESPONSES/SUBMISSIONS AMONGST INTERESTED PARTIES**

41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

**M. NON-COOPERATION**

42. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority